भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 337
(02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए निधियों का आवंटन

337. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण विकास परियोजनाओं के अंतर्गत धनराशि के आवंटन का आधार क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को अधिक धनराशि आवंटित करने का है जो इस योजना को कार्यान्वित करने में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ङ): ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) , प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाईजी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) , दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआईएस), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त सभी योजनाएं/कार्यक्रम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सक्रिय सहयोग से कार्यान्वित किए जाते हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आवंटन एक निरंतर प्रक्रिया है। निधियों का आवंटन उनके पास उपलब्ध निधियों की शेष राशि, योजनाबद्ध आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज/उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, योजनाओं के तहत पहले से आवंटित निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने और प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए और जमीनी स्तर पर वास्तविक आवश्यकता का आकलन करके किया जाता है।

*****